

## असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 3246] No. 3246] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 21, 2017/कार्तिक 30, 1939

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 21, 2017/KARTIKA 30, 1939

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर 2017

का.आ. 3700(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3158 (अ), तारीख 24 नवम्बर, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

(i) पैरा 4 में, सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 123.128 कि.मी. (2.73946 किमी संरचनाओं की लम्बाई को छोड़कर जिनकी लम्बाई 60 मी से अधिक है) और राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई 27.3946 किमी, है जो उन संरचनाओं की कुल लम्बाई 2.73946 किमी (पंक्ति 9, 10 और 11 में प्रकाशित ) के अनुरूप है, को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

''सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 121.662 कि.मी. ( 3.75861 किमी संरचनाओं की लम्बाई को छोड़कर जिनकी लम्बाई 60 मी से अधिक है ) और राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई 37.5861 किमी है, जो उन संरचनाओं की कुल लम्बाई 3.75861 किमी के अनुरूप है''

- (ii) सारिणी 1 के बाद बिंदु 1, 2 और 10 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल पलाजाओं पर ऐसे टोल प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी.में.) जिसके लिए शुल्क संदेय है
रारा-1ए के 34.500 कि.मी., होशियारपुर जिले में	65.018 (नीचे पैरा 2 में निर्दिष्ट 751.730 मीटर लम्बाई की संरचनाओं को
चोल्लांग गांव के निकट।	छोड़कर)
रारा-1ए के 84.500 कि.मी., होशियारपुर जिले में	56.644 (नीचे पैरा 2 में निर्दिष्ट 3006.880 मीटर लम्बाई की संरचनाओं को
हरसा मनसर गांव के निकट ।	छोड़कर)

6832 GI/2017 (1)

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु 'संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी.में)
रारा 1-ए के 34.500 कि.मी. होशियारपुर जिले में चोल्लांग गांव के निकट।	0.75173	7.5173
रारा1-ए के 84.500 कि.मी. होशियारपुर जिले में हरसा मनसर गांव के निकट ।	3.00688	30.0688

# विवरण इस प्रकार हैं

# रारा-1ए के 34.500 कि.मी पर चोल्लांग टोल प्लाजा

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	चैनेज (कि.मी.)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु 'संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	स्थाई पुल/संरचनाओं का नाम और अवस्थान
रारा1-ए के 34.500	28+938	131.400	बडा पुल
कि.मी. होशियारपुर जिले में चोल्लांग गांव के	29+780	73.000	आर ओ बी
म चाल्लाग गाव क   निकट।	49+345	110.010	बडा पुल
	54+175	105.610	बडा पुल
	57+615	105.610	बडा पुल
	59+505	158.600	बडा पुल
	62+433	67.500	बडा पुल
		751.730	

# रारा-1ए के 84.500 कि.मी. पर हरसा मनसर टोल प्लाजा ।

टोल प्लाजा का अवस्थान	चैनेज (कि.मी.)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए	स्थाई पुल/संरचनाओं का नाम
(चैनेज)		जाने हेतु 'संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	और अवस्थान
रारा1-ए के 84.500	83+450	90.000	आर ओ बी
कि.मी. होशियारपुर जिले	88+445	672.020	बडा पुल
में हरसा मनसर गांव के	103+772	84.060	बडा पुल
निकट ।	109+959	264.600	बडा पुल
	110+615	70.900	फ्लाई ओवर
	111+038	718.900	आर ओ बी
	114+019	67.500	बडा पुल
	115+600	144.900	आर ओ बी
	14+265	67.500	बडा पुल
	15+636	826.500	बडा पुल
		3006.880	

10. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से परियोजना की वसूल की जाने वाली पूंजीगत लागत 1017.78 करोड़ रूपए (एक हजार सत्रह करोड़ अठत्तर लाख रूपए मात्र) है । वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से, टोल का संग्रहण रियायतग्राही द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरो का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के अधीन की गई व्यवस्था के अनुसार लागू दरों पर तथा बोली की नियत तारीख तक उसमें किए गए संशोधन तक किया जाएगा । पूंजीगत लागत की वसूली रियायत शुल्क के माध्यम से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को एनपीवी निकालने हेतु 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से छूट लेते हुए की जाएगी । जिस दिन पूंजीगत लागत की वसूली हो जाएगी, उस दिन के बाद टोल दरों को घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा । रियायत शुल्क को भी घटाकर देय राशि का 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा और रियायत करार के खण्ड 21.1.1 के अनुसार 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि लागू होगी।

[फा/सं. (भाराराप्रा/13013/690/सीओ/15-16/जीसी जालंधर-पंजाब/जम्मू और कश्मीर सीमा (ओएमटी)] दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 3158(अ) 24 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2017

- **S.O. 3700(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways bearing S.O. No. 3158 (E), dated 24.11.2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:
- (i) In Para 4, net road section length of 123.128 km (excluding 2.73946 km of structures having length more than 60m) and equivalent highway length of 27.3946 km corresponding to structures having total length of 2.73946 km (appearing in line 9, 10 & 11) is modified as under:
- "net road section length of 121.662 km (excluding 3.75861 km of structures having length more than 60m) and equivalent highway length of 37.5861 km corresponding to structures having total length of 3.75861 km"
- (ii) Point 1, 2 & 10 after Table 1 shall be substituted as under:
- 1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plazas (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 34.500 of NH-1A, near village Chollang in Hoshiarpur District	65.018 (Excluding 751.730 m length of structures indicated in Para-2 below)
Km 84.500 of NH-1A, near village Harsa Mansar in Hoshiarpur District	56.644 (Excluding 3006.880 m length of structures indicated in Para-2 below)

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)
Km 34.500 of NH-1A, near village Chollang in Hoshiarpur District	0.75173	7.5173
Km 84.500 of NH-1A, near village Harsa Mansar in Hoshiarpur District	3.00688	30.0688

## Chollang Toll Plaza at km 34.500 of NH-1A

Location of Toll Plaza (chainage)	Chainage (km)	Length of structures(in m) to be converted into equivalent road length	Nature and location of permanent bridge/structure
	28+938	131.400	Major Bridge
Km 34.500 of NH-1A, near village Chollang in Hoshiarpur District	29+780	73.000	ROB
	49+345	110.010	Major Bridge
	54+175	105.610	Major Bridge
	57+615	105.610	Major Bridge
	59+505	158.600	Major Bridge
	62+433	67.500	Major Bridge
		751.730	

#### Harsa Mansar Toll Plaza at km 84.500 of NH-1A

Location of Toll Plaza (chainage)	Chainage (km)	Length of structures(in m) to be converted into equivalent	Nature and location of permanent
` <i>` '</i>		road length	bridge/structure
	83+450	90.000	ROB
	88+445	672.020	Major Bridge
Km 84.500 of NH-1A, near village Harsa Mansar in Hoshiarpur District	103+772	84.060	Major Bridge
	109+959	264.600	Major Bridge
	110+615	70.900	Flyover
	111+038	718.900	ROB
	114+019	67.500	Major Bridge
	115+600	144.900	ROB
	14+265	67.500	Major Bridge
	15+636	826.500	Major Bridge
		3006.880	

10. The present value of Capital Cost of the Project to be recovered from the date of COD is Rs. 1017.78 crore (Rupee One Thousand Seventeen crore and Seventy Eight lakh only). The user fee shall be collected by the Concessionaire at the applicable rates provided under the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and further amendments till bid due date. The Capital Cost shall be recovered through Concession Fee by discounting @ 12% per annum to arrive at NPV as on the date of commercial operation (COD). After the day on which the Capital Cost is recovered the toll rates chargeable shall be reduced to 40% of rate being charged. The Concession Fee shall also be reduced to 40% of the amount payable and annual increment of 10% as per Clause 21.1.1 of Concession Agreement shall be applicable.

[F. No. NHAI/13013/690/CO/15-16/GC Jalandhar-Punjab/J&K Border (OMT)]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India *vide* S.O. 3158(E) dated 24th November, 2015.

<sup>\*</sup> The details are as under:-